उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल
दिनांक – 24 सितम्बर, 2022

माननीय श्री न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी
रिट याचिका (एस/एस) संख्या : 308 / 2022

सुनीता ..... याचिकाकर्ता
बनाम
उत्तराखण्ड राज्य व अन्य .....उत्तरदातागण

याचिकाकर्ता :– द्वारा श्री विनय कुमार, श्री अतुल बहुगुणा, श्री हेमंत सिंह मेहरा, श्री हरि ओम भाकुनी, श्रीमती संगीता भारद्वाज, श्री हिमांशु असवाल, अधिवक्ता का संक्षिप्त विवरण–श्री नवनेश नेगी और डॉ0 के.एच. गुप्ता, श्रीमती ईरम जेबा, अधिवक्ता द्वारा सहायता।

उत्तरदातागण :– द्वारा श्री एन.पी. शाह, श्री वी.एस. रावत, विद्वान स्थायी वकील, उत्तराखण्ड राज्य की ओर से ब्रीफ होल्डर, श्री पंकज पुरोहित और श्री ललित सामंत, चयन निकाय के पक्षधर, श्री बी.एस. खतायत और श्री अभिजय नेगी, हस्तक्षेप करने वालों के हिमायतकर्त्ता व श्री सी.डी. बहुगुणा, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री रविन्द्र रावत।

रिट याचिका (एस/एस) संख्या : 90 /2022
रिट याचिका (एस/एस) संख्या : 116 /2022
रिट याचिका (एस/एस) संख्या : 190 /2022
रिट याचिका (एस/एस) संख्या : 193 /2022
रिट याचिका (एस/एस) संख्या : 198 /2022
रिट याचिका (एस/एस) संख्या : 202 /2022
रिट याचिका (एस/एस) संख्या : 203 /2022
रिट याचिका (एस/एस) संख्या : 263 /2022
रिट याचिका (एस/एस) संख्या : 310 /2022
रिट याचिका (एस/एस) संख्या : 326 /2022
रिट याचिका (एस/एस) संख्या : 340 /2022
रिट याचिका (एस/एस) संख्या : 354 /2022
रिट याचिका (एस/एस) संख्या : 419 /2022
रिट याचिका (एस/एस) संख्या : 421 /2022
रिट याचिका (एस/एस) संख्या : 453 /2022
रिट याचिका (एस/एस) संख्या : 455 /2022
रिट याचिका (एस/एस) संख्या : 513 /2022
रिट याचिका (एस/एस) संख्या : 571 /2022
रिट याचिका (एस/एस) संख्या : 584 /2022
रिट याचिका (एस/एस) संख्या : 591 /2022
रिट याचिका (एस/एस) संख्या : 599 /2022
रिट याचिका (एस/एस) संख्या : 1449/2022
रिट याचिका (एस/एस) संख्या : 1459/2022
रिट याचिका (एस/एस) संख्या : 1608/2022
रिट याचिका (एस/एस) संख्या : 1645/2022
रिट याचिका (एस/एस) संख्या : 1655/2022

<u>निर्णय</u>

1. हस्तक्षेप आवेदन (आईए संख्या 08/2022, आईए संख्या 10/2022 में दायर किया डब्ल्यूपीएसएस संख्या 308/2022; आईए संख्या 02/2022 और आईए संख्या 03/2022 में दायर किया डब्ल्यूपीएसएस संख्या 90/2022) अनुमत हैं।

2. उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग (इसके बाद 'चयन निकाय' के रूप में संदर्भित) ने अधिसूचना दिनांक 13.10.2020 द्वारा शासकीय विद्यालयों में विभिन्न विषयों में सहायक शिक्षक एल.टी. ग्रेड के पद पर नियुक्ति के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। याचिकाकर्ताओं ने उक्त विज्ञापन का जवाब दिया और बहुविकल्पीय वस्तुनिष्ठ प्रश्नों वाली परीक्षा में उपस्थित हुए। उक्त परीक्षा में अनुत्तीर्ण घोषित किए जाने पर, याचिकाकर्त्ताओं ने इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।

3. इन रिट याचिकाओं में याचिकाकर्त्ता ने संशोधित उत्तर कुंजी में दिए गए कुछ प्रश्नों के उत्तर की शुद्धता का मुद्दा उठाया है। कुछ याचिाकर्ताओं द्वारा यह तर्क दिया गया हे कि लिखित परीक्षा के तुरन्त बा चयन निकाय द्वारा प्रकाशित पहली उत्तर कुंजी में सही माने गए उत्तर को संशोधित उत्तर कुंजी में गलत तरीके से बदल दिया गया था, जिसके परिणामस्वरूप उनके अंकों के अंक में कमी आई है। हालांकि चयनकर्त्ता निकाय और हस्तक्षेपकर्ताओं का तर्क ई कि पहली उत्तर कुंजी में कुछ प्रश्नों के उत्तरों को गलत तरीके से सही माना गया था। हालांकि इस तरह के जवाबों के खिलाफ बड़ी संख्या में पर्याप्त आपत्तियों को देखते हुए मामला विशेषज्ञ समिति को भेजा गया था और उसके आधार पर विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट के अनुसार संशोधित उत्तर कुंजी में आवश्यक परिवर्तन किए गए हैं। इस प्रकार इन सभी रिट याचिकाओं में जो प्रश्न विचार के लिए आता है, वह संशोधित उत्तर कुंजी में दिए गए कुछ प्रश्नों के उत्तर की शुद्धता के संबंध में है।

4. चूंकि तथ्य और कानून के सामान्य प्रश्न इन याचिकाओं में शामिल हैं, इसलिए इन याचिकाओं को एक साथ जोड़ दिया गया है और सुनवाई और निर्णय लिया जा रहा है। हालांकि संक्षिप्तता और सुविधा के लिए केवल 2022 की डब्ल्यूपीएसएस संख्या 308 के तथ्यों पर विचार किया जा रहा है।

5. इस रिट याचिका (डब्ल्यूपीएसएस संख्या–308) के माध्यम से याचिकाकर्त्ता ने निम्नलिखित राहत मांगी है :–

> (क) प्रश्न संख्या के उत्तर की सीमा तक संशोधित उत्तर कुंजी (अनुलग्नक संख्या 7 के रूप में निहित) को निरस्त करने के लिए उत्प्रेषण की प्रकृति में एक रिट आदेश या निर्देश जारी करें और दिनांक 11.08.2021 की उत्तर पुस्तिका को सही मानते हुए प्रश्न पुस्तिका श्रृंख्ला सी के प्रश्न संख्या 41 और 59 के लिए याचिकाकर्ताओं अंक आवंटित करे।
>
> (ख) परमादेश की प्रकृति का एक रिट, आदेश या निर्देश जारी करें, जिसमें उत्तरदाताओं को प्रश्न पुस्तिका श्रृंख्ला–ग के 41 और 59 सही हैं जैसा कि प्रारम्भिक उत्तर पत्र दिनांक 11.08. 2021 में दिखाया गया है और प्रश्न संख्या पर विचार करने के लिए और लिखित परीक्षा में याचिकाकर्त्ता को आवंटित अंकों में संशोधन कर प्रश्न संख्या 41 और 59 के लिए याचिकाकर्ताओं को अंक आवंटित करें।
>
> (ग) सहायक शिक्षक, एल.टी. ग्रेड (शारीरिक शिक्षा) के पद की अंतिम मेरिट सूची में याचिकाकर्त्ता का नाम शामिल करने के

लिए प्रतिवादी आयोग/चयन निकाय को निर्देशित करने के लिए परमादेश की प्रकृति में एक रिट, आदेश या निर्देश जारी करें।

6. याचिकाकर्त्ता ने अपने तर्क के समर्थन में कुछ पाठों पर भरोसा किया है कि उनके द्वारा दी गई बुकलेट श्रृंख्ला ग के प्रश्न संख्या 41 और 59 सही हैं। चयनकर्त्ता निकाय के वकील के साथ–साथ हस्तक्षेप करने वालों के विद्वान वकील ने भी अन्य पुस्तकें उनके इस तर्क के समर्थन में कि संशोधित उत्तर कुंजी में दिए गए उत्तर सही हैं और प्रामाणिक पाठ द्वारा समर्थित हैं, प्रस्तुत किए गए हैं।

7. श्री पंकज पुरोहित, विद्वान अधिवक्ता चयन समिति का कहना है कि पहली उत्तर कुंजी पर प्राप्त आपत्तियों को विशेषज्ञ समिति को भेजा गया था और विशेषज्ञ समिति ने काफी विचार विमर्श के बाद कुछ प्रश्नों के संबंध में उत्तर में सुधार किया। इस प्रकार उनका कहना है कि एक बार जब विशेषज्ञ समिति के द्वारा लिए गए दृष्टिकोण के साथ न्यायिक हस्तक्षेप उचित नहीं होगा।

8. यह अच्छी तरह से स्थापित है कि उच्च न्यायालय, न्यायिक समीक्षा की शक्ति का प्रयोग करते हुए, एक विषय विशेषज्ञ की भूमिका ग्रहण नहीं कर सकता है और यह तय नहीं कर सकता है कि विषय विशेषज्ञों द्वारा बहुविकल्पीय प्रश्न के उत्तर में 'सही' के रूप में माना गया उत्तर है या नहीं। इस प्रकार यह न्यायालय न्यायालय संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए विषय विशेषज्ञों द्वारा लिए गए निर्णय पर अपील नहीं कर सकता है।

9. उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और अन्य बनाम राहुल सिंह और अन्य (2018) 7 एससीसी 254 के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नानुसार अवधारित किया है :–

> ''13. जहां तक वर्तमान मामले का संबंध है, मुख्य उत्तरों की पहली सूची प्रकाशित करने से पहले भी आयोग ने मुख्य उत्तरों को विशेषज्ञ समितियों द्वारा संचालित किया था। इसके बाद आपत्तियां आमंत्रित की गई और आपत्तियों को सत्यापित करने के लिए एक 26 सदस्यीय समिति गठित की गई और इस अभ्यास के बाद समिति ने सिफारिश की कि 05 प्रश्नों को हटा दिया जाए और 02 प्रश्नों में मुख्य उत्तरों को बदल दिया जाए। यह माना जा सकता है कि इन समितियों में विभिन्न विषयों के विशेषज्ञ शामिल थे, जिनके लिए परीक्षार्थियों का परीक्षण किया गया था। न्यायधीश शैक्षिणक मामलों में विशेषज्ञों की भूमिका नहीं ले सकते। जब तक उम्मीदवार यह प्रदर्शित नही करता कि मुख्य उत्तर प्रत्यक्ष रूप से गलत हैं। अदालतें अकादमिक क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर सकती हैं, दोनों पक्षों द्वारा दिए गए तर्कों के पक्ष और विपक्ष का वजन करती हैं और फिर इस निष्कर्ष पर पहुंचती हैं कि कौन सा उत्तर बेहतर या अधिक सही है।
>
> 14. वर्तमान मामले में हम पाते हैं कि सभी 03 प्रश्नों के लिए तर्क की एक लंबी प्रक्रिया की आवश्यकता थी और स्वयं उच्च न्यायालय ने देखा है कि आयोग का रुख कुछ पाठय पुस्तकों द्वारा भी समर्थित है। जब परस्पर विरोधी विचार हों तो न्यायालय को विशेषज्ञों की राय के आगे झुकना ही चाहिए। न्यायाधीश सभी क्षेत्रों के विशेषज्ञ नहीं है और न ही हो सकते हैं, इसलिए उन्हें बहुत संयम बरतना चाहिए और विशेषज्ञों की

राय को बिगाड़ने के लिए अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर नहीं जाना चाहिए।''

10. इसी तरह का विचार माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रणविजय सिंह और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य (2018) 2 एसीसी 357 के मामले में व्यक्त किया गया है कि जहां यह माना गया था कि संदेह की स्थिति में, लाभ उम्मीदवार के बजाय परीक्षा प्राधिकरण को जाना चाहिए। उक्त निर्णय के पैरा संख्या 30 नीचे दिया गया है :–

> ''30. इस विषय पर कानून इसलिए, काफी स्पष्ट है और हम केवल कुछ महत्वपूर्ण निष्कर्षों को उजागर करने का प्रस्ताव है। वे हैं :–
>
> 30.1 यदि कोई कानून, नियम या विनियम जो परीक्षा को नियंत्रित करता है, उत्तर पत्रक या उत्तर पत्रक के पुनर्मूल्यांकन की अनुमति जांच अधिकारी के रूप में देता है तो परीक्षा आयोजित करने वाला प्राधिकारी इसकी अनुमति दे सकता है;
>
> 30.2 यदि किसी परीक्षा को नियंत्रित करने वाला कोई कानून, नियम या विनियम उत्तर पुस्तिका के पुनर्मूल्यांकन या जांच की अनुमति नहीं देता है (जैसा कि इसे प्रतिबंधित करने से अलग है) तो न्यायालय पुनर्मूल्यांकन या जांच की अनुमति केवल तभी दे सकता है जब यह बहुत स्पष्ट रूप से प्रदर्शित हो, बिना किसी ''तर्क की अनुमानात्मक प्रक्रिया या युक्तिकरण की प्रक्रिया द्वारा ''और केवल दुर्लभ या असाधारण मामलों में एक भौतिक त्रुटि हुई है;
>
> 30.3 न्यायालय को एक उम्मीदवार की उत्तर पुस्तिकाओं का पुनर्मूल्यांकन या जांच बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, मामले में विशेषज्ञता और शैक्षणिक मामलों को शिक्षाविदों के लिए छोड़ देना सबसे अच्छा है;
>
> 30.4 न्यायालय को मुख्य उत्तरों की सत्यता माननी चाहिए और उस धारणा पर आगे बढ़ना चाहिए; और
>
> 30.5 संदेह की स्थिति में लाभ उम्मीदवार के बजाय परीक्षा प्राधिकरण को जाना चाहिए।''

11. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा हाल ही में दिए गए एक फैसले विकेश कुमार गुप्ता बनाम राजस्थान राज्य (2012) 2 एससीसी 309 में अवधारित किया गया और यह दोहराया गया है कि विशेषज्ञ समिति की राय से अलग किसी निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए प्रश्नों और उत्तर कुंजी की शुद्धता की जांच करने के लिए उच्च न्यायालय खुला नहीं है। आगे यह कहा गया है कि सही उत्तर पर पहुंचने के लिए न्यायालय द्वारा स्वयं प्रश्नों का आंकलन करने की अनुमति नहीं है। उपरोक्त निर्णय के पैरा नं0 13 से 17 नीचे दिए गए हैं :–

> 13. इस न्यायालय के विचार के लिए जो बिंदु उठता है वह यह है कि क्या संशोधित चयन सूची दिनांक 21.05.2019 को दूसरी उत्तर कुंजी के आधार पर तैयार किया जाना चाहिए था। अपीलकर्ताओं का तर्क है कि प्रतीक्षा सूची भी तैयार की जानी चाहिए। तीसरी उत्तर कुंजी के आधार पर न कि दूसरी उत्तर कुंजी के आधार पर। उच्च न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार गठित विशेषज्ञ समिति द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर आरपीएससी द्वारा दूसरी उत्तर कुंजी जारी की गई थी, संशोधित चयन सूची से संतुष्ट नहीं होने पर, जिसमें केवल कुछ उम्मीदवार शामिल थे, कुछ असफल

उम्मीदवारों ने खंडपीठ के समक्ष अपील दायर की, जिसका निस्तारण दिनांक 12.03.2019 को किया गया। दूसरी उत्तर कुंजी दिनांक 17.09.2018 को तैयार की गई इसने चयन सूची में हस्तक्षेप करने से इंकार कर दिया। हालांकि खंडपीठ ने प्रश्नों की शुद्धता और उसमें अपीलकर्त्ताओं द्वारा बताई गई उत्तर कुंजियों की जांच की और इस निष्कर्ष पर पहुंची कि उत्तर कुंजी से 05 प्रश्न गलत थे। उक्त निष्कर्षों के आधार पर, खंडपीठ ने आरपीएससी को संशोधित चयन सूची तैयार करने और इसे केवल अपीलकर्ताओं पर लागू करने का निर्देश दिया।

14. हालांकि नियमों की अनुमति होने पर पुनर्मूल्यांकन का निर्देश दिया जा सकता है, इस न्यायालय ने अदालतों द्वारा पुनर्मूल्यांकन और प्रश्नों की जांच की प्रथा को खारिज कर दिया है, जिसमें अकादमिक मामलों में विशेषज्ञता की कमी है। उच्च न्यायालय के लिए प्रश्न पत्रों और उत्तर पुस्तिकाओं की स्वयं जांच करने की अनुमति नहीं है, खासकर जब आयोग ने उम्मीदवारों की पारस्परिक योग्यता का आकलन किया हो। न्यायालयों को उस विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के प्रति सम्मान और विचार करना होगा जिनके पास मूल्यांकन करने और सिफारिशें करने की विशेषज्ञता है।

15. उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन के संबंध में न्यायिक समीक्षा के दायरे की जांच करते हुए, यह न्यायालय रणविजय सिंह बनाम यूपी राज्य में, यह माना गया कि अदालत को किसी भी उम्मीदवार की उत्तर पुस्तिकाओं का पुनर्मूल्यांकन या जांच नहीं करनी चाहिए क्योंकि उसके पास मामलों में कोई विशेषज्ञता नहीं है और अकादमिक मामलों को शिक्षाविदों के लिए छोड़ देना सबसे अच्छा है। उक्त निर्णय में इस न्यायालय ने आगे निम्नानुसार व्यवस्था की :

''31. अपनी ओर से हम यह जोड़ सकते हैं कि उत्तर पुस्तिका के पुनर्मूल्यांकन को निर्देशित करने या न करने के मामले में सहानुभूति या करूणा कोई भूमिका नहीं निभाती है। यदि परीक्षा प्राधिकरण द्वारा कोई त्रुटि की जाती है, तो उम्मीदवारों का पूरा निकाय पीड़ित होता है। पूरी परीक्षा प्रक्रिया केवल इसलिए पटरी से उतारने लायक नहीं है क्योंकि कुछ उम्मीदवार निराश या असंतुष्ट हैं या उन्हें लगता है कि गलत प्रश्न या गलत उत्तर के कारण उनके साथ कुछ अन्याय हुआ है। हालांकि सभी उम्मीदवारों को समान रूप से भुगतना पड़ता है। कुछ को अधिक नुकसान हो सकता है लेकिन वह मद्द नहीं की जा सकती है क्योंकि गणितीय सटीकता हमेशा संभव नहीं होती है। इस न्यायालय ने एक गतिरोध से बाहर निकलने का एक तरीका दिखाया है जो संदिग्ध या आपत्तिजनक प्रश्न को बाहर करता है।

32. यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस न्यायालय के कई निर्णयों के बावजूद, जिनमें से कुछ की ऊपर चर्चा की जा चुकी है, परीक्षाओं के परिणाम में न्यायालयों का हस्तक्षेप हैं यह परीक्षा अधिकारियों

को एक अस्वीकार्य स्थिति में रखता है जहां वे जांच के दायरे में हैं न कि उम्मीदवारों के लिए। इसके अतिरिक्त, बड़े पैमाने पर और कभी–कभी लंबे समय तक चलने वाला परीक्षा अभ्यास अनिश्चित्ता की हवा के साथ समाप्त होता है। हालांकि इसमें कोई संदेह नहीं है कि उम्मीदवार परीक्षा की तैयारी में जबरदस्त प्रयास करते हैं, यह नहीं भूलना चाहिए कि परीक्षा अधिकारियों ने भी परीक्षा को सफलतापूर्वक आयोजित करने के लिए उतना ही प्रयास किया है। कार्य की विशालता बाद के चरण में कुछ चूक प्रकट कर सकती है, लेकिन अदालत को परीक्षा में सफलतापूर्वक भाग लेने वाले उम्मीदवारों द्वारा किए गए प्रयासों में हस्तक्षेप करने से पहले परीक्षा अधिकारियों द्वारा आंतरिक जांच और संतुलन पर विचार करना चाहिए और परीक्षा अधिकारियों। वर्तमान अपील इस तरह के हस्तक्षेप के परिणाम का उत्कृष्ट उदाहरण है जहां के परिणाम की कोई अंतिमता नहीं है। आठ साल बीत जाने के बाद भी परीक्षा अधिकारियों के अलावा, यहां तक कि उम्मीदवार भी परीक्षा के परिणाम की निश्चित्ता या अन्यथा के बारे में आश्चर्यचकित रह जाते हैं कि वे पास हुए हैं या नहीं; क्या उनका परिणाम न्यायालय द्वारा स्वीकृत या अस्वीकृत किया जाएगा; उन्हें किसी कॉलेज या विश्वविद्यालय में प्रवेश मिलेगा या नहीं; और उनकी भर्ती होगी या नहीं। यह असंतोषजनक स्थिति किसी के लाभ के लिए काम नहीं करती है और ऐसा किसी कॉलेज या विश्वविद्यालय में प्रवेश प्राप्त करें या नहीं, और क्या वे भर्ती होंगे या नहीं। यह असंतोषजनक स्थिति नहीं है किसी के लाभ के लिए काम करें और ऐसा अनिश्चितता की स्थिति भ्रम पैदा करती है बदतर भ्रमित। समग्र और बड़ा इन सबका प्रभाव जनहित है पीड़ित है।''

16. इस न्यायालय द्वारा निर्धारित उपरोक्त कानून के मद्देनजर, खंडपीठ के पास सवालों की शुद्धता की जांच करने और विशेषज्ञ समिति के फैसले से अलग निष्कर्ष पर आने के लिए उत्तर कुंजी के लिए खुला नहीं था। अपीलकर्त्ताओं द्वारा रिचल बनाम राजस्थान लोक सेवा आयोग के मामल में भरोसा किया गया था। उक्त निर्णय में, इस न्यायालय ने एक विशेषज्ञ समिति की राय प्राप्त करने के बाद ही चयन प्रक्रिया में हस्तक्षेप किया, लेकिन स्वयं प्रश्नों और उत्तरों की शुद्धता में प्रवेश नहीं किया। इसलिए उक्त निर्णय इस मामले में विवाद के न्यायनिर्णयन के लिए प्रासंगिक नहीं है।

17. उपरोक्त निर्णयों के अवलोकन से यह स्पष्ट हो जाता है कि न्यायालयों को शैक्षणिक मामलों में विशेषज्ञ राय में दखल देने में बहुत धीमी गति से काम करना चाहिए। किसी भी स्थिति में, सही उत्तरों पर पहुंचने के लिए स्वयं न्यायालयों द्वारा प्रश्नों का मूल्यांकन करने की अनुमति नहीं है। सार्वजनिक पदों पर नियुक्तियों को अंतिम रूप देने में देरी मुख्य रूप से अदालतों में लंबे समय से लंबित चयनों को चुनौती देने वाले मामलों के लंबित रहने के कारण हुई है। नियुक्तियों में देरी का व्यापक प्रभाव अस्थायी आधार पर नियुक्त लोगों की निरन्तरता और नियमतीकरण के उनके दावों में है। सार्वजनिक पदों पर देरी से नियुक्तियों के परिणामस्वरूप होने वाला दूसरा परिणाम पर्याप्त कर्मियों की कमी के कारण प्रशासन को होने वाली गंभीर क्षति

है।

12. श्री पकंज पुरोहित, चयन निकाय के विद्वान अधिवक्ता ने डब्ल्यूपीएसएस संख्या : 481/2022 में इस न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय पर भरोसा किया है। उन्होंने प्रस्तुत किया चयन प्रक्रिया में असफल उम्मीदवारों द्वारा फेंकी गई इसी तरह की चुनौती को इस अदालत ने दिनांक 07.07.2022 के फेसले के तहत उक्त रिट याचिका में रद्द कर दिया था। उक्त निर्णय का पैरा 36 नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है :–

> ''36. भारत के संविधान के अनुच्छेद 315 के तहत लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई है, इस प्रकार यह एक संवैधानिक प्राधिकरण है। सार्वजनिक सेवाओं में नियुक्ति के लिए प्रतियोग परीक्षाओं के आयोजन के लिए विशेष निकाय के रूप में, यह अपने मामलों के संचालन के तरीके और साधर तैयार कर सकता है। एक चयन निकाय के रूप में आयोग के लिए कुछ हद तक विवेकाधिकार उपलब्ध है। इस तरह के विवेक के प्रयोग के साथ हस्तक्षेप केवल तभी स्वीकार्य होगा जब यह निर्धारित मानदंडों के विपरीत हो या तर्कहीन हो। आयोग द्वारा लिया गया विवादित निर्णय मनमाना या तर्कहीन नहीं कहा जा सकता है। हालांकि आयोग के पास अन्य विकल्प भी उपलब्ध थे, हालांकि यह आयोग को तय करना है कि वह कई विकल्पों में से किसे चुनता है। प्रत्येक वैधानिक प्राधिकरण या एक चयन निकाय को जोड़ों में खेलने का अधिकार है ताकि वह अपने कार्यों का निर्वहन करने में सक्षम है। ऐसे मामलों में न्यायिक समीक्षा का दायरा बहुत सीमित है और इन रिट याचिकाओं में आयोग द्वारा लिए गए निर्णय को किसी वैध आधार के अभाव में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है।''

13. यह मुद्दा कि क्या किसी विशेष 'बहुविकल्पी वस्तुनिष्ठ प्रश्न' का उत्तर, जिसे चयन निकाय द्वारा सही माना जाता है, वास्तव में सही है या नहीं, न्यायोचित नहीं है। यह अच्छी तरह से स्थापित है कि न्यायाधीश अकादमिक मामलों में विशेषज्ञों की भूमिका नहीं निभा सकते हैं और यह इस न्यायालय के लिए नहीं हैं कि वह चयन निकाय द्वारा तैयार की गयी उत्तर कुंजी का पुनर्मूल्यांकन करे। विषय विशेषज्ञों का मार्गदर्शन दिए गए प्रश्न का कौन सा विकल्प सही उत्तर देता है, यह केवल विशेषज्ञों द्व ारा तय किया जा सकता है और उत्तर कुंजी को विषय विशेषज्ञों की सिफारिश के आधार पर चयन निकाय द्वारा संशोधित किया गया था, जिन्होंने पहली उत्तर कुंजी के खिलाफ प्राप्त आपत्तियों पर विचार किया था। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से माना है कि न्यायालयों को विशेषज्ञ समिति की सिफारिश के प्रति सम्मान और विचार करना होगा।

14. इस मामले को देखते हुए उत्तर में हस्तक्षेप की कोई गुंजाइश नहीं है, जैसा कि संशोधित उत्तर कुंजी में दिया गया है।

15. तद्नुसार, रिट याचिकाएं विफल होती हैं और निरस्त।

(मनोज कुमार तिवारी, न्यायमूर्ति)

निर्णय का हिन्दी अनुवाद द्वारा

रवि प्रकाश,
अपर मुख्य न्यायिक,
मजिस्ट्रेट, रामनगर, नैनीताल।